भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 516
दिनांक 06.02.2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम
516. श्री संजय जाधवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विरल जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और आधारभूत अवसंरचना वाले सीमावर्ती गांवों को उक्त नए कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने सीमावर्ती गांवों के विकास से संबंधित मौजूदा योजनाओं को उक्त योजना के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त कार्यक्रम के लिए अनुमानित धनराशि और निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;
(ङ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में कितने गांवों में परिवर्तन होने की संभावना है; और
(च) सरकार द्वारा गांव की आधारभूत अवसंरचना, आवास, पर्यटन केंद्रों, सड़क कनेक्टिविटी, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधान और आजीविका सृजन हेतु सहयोग के विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशिथ प्रामाणिक)

(क) से (च): अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के कम जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले 46 ब्लॉकों के चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में "वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी)" शुरू किया गया है। वर्तमान में, प्राथमिक तौर पर कवरेज हेतु 662 गांव चिन्हित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 हेतु वीवीपी के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय 4800 करोड़ रुपये है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 516 दिनांक 06.02.2024

चयनित गांवों में ग्रामीण अवसंरचना के विकास और आजीविका के अवसरों के सृजन के लिए, इस कार्यक्रम में केंद्रीय क्षेत्र की मौजूदा स्कीमों, केंद्र प्रायोजित स्कीमों और राज्य स्कीमों के अभिसरण की भी परिकल्पना की गई है जिसमें पहल करने हेतु चिन्हित किये गए निम्नलिखित फोकस क्षेत्र अर्थात्- (i) आर्थिक विकास - आजीविका सृजन (ii) सड़क कनेक्टिविटी (iii) आवास और ग्रामीण अवसंरचना (iv) सौर एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा (v) गाँव में आईटी सक्षम कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना सहित टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी (vi) इको-सिस्टम का पुनरुद्धार (vii) पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना (viii) वित्तीय समावेशन (ix) कौशल विकास और उद्यमिता (x) कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती आदि समेत आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए सहकारी समितियों का विकास शामिल हैं।

*****